जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के शवों का मेडिकल बोर्ड गठित कर हुआ पोस्टमार्टम

डीसी के यहां से पत्र मिलने के बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शवों का पोस्टमार्टम व वीडियाग्राफी कराया गया

रिम्स में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े पुलिसकर्मी व परिजन तथा छापेमारी करती पुलिस। छाया : राजकुमार

रांची। राजधानी में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों का शव रिम्स में मेडिकल बोर्ड की बैठक के बाद ही परिजनों को सौंपा गया। हालांकि, जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद दो शवों का पोस्टमार्टम हो चुका था। लेकिन, मेडिकल बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण शव परिजनों को नहीं सौंपे गए थे। शव लेने के लिए परिजनों को इंतजार करना पड़ा। एफएमटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. तुलसी महतो व कार्यपालक दंडाधिकारी सागर कुमार की उपस्थिति में मेडिसीन विभाग के डॉ. अनिल कुमार, सर्जरी विभाग की डॉ. सुमेघा रानी, एफएमटी विभाग के डॉ. संजय कुमार व पैथोलॉजी विभाग के डॉ. रवि मुर्मू के समक्ष सभी शवों का पोस्टमार्टम किया गया। रिम्स के एफएमटी, सर्जरी, मेडिसीन व पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्षों को मेडिकल बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। जिनके निर्देशन में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के शवों का पोस्टमार्टम किया गया।

रिम्स में शाम पांच बजे के बाद किसी शव के पोस्टमार्टम की आवश्यकता महसूस होने पर डीसी रिम्स प्रबंधन को इसके लिए निर्देश जारी करते हैं। वहीं इस तरह के आवश्यक पोस्टमार्टम के लिए एक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की जाती है। मंगलवार को शराब पीने से मरने वाले लोगों के तीन शव पोस्टमार्टम के लिए रिम्स एफएमटी विभाग में आ चुके थे। कुछ शव पांच बजे के बाद रिम्स लाए गए। जब इसकी सूचना जिला प्रशासन को हुई, तो डीसी मनोज कुमार ने अन्य शराब पीने से हुई मौत वाले शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए रिम्स प्रबंधन को निर्देश पत्र जारी किया। इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने अन्य शवों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था बनाई। जिसकी वीडियोग्राफी भी की गयी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मृतकों के परिजनों की भी काफी भीड़ रही।

इस बीच घटना को लेकर दोषियों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब की बरामदगी के लिए देर रात तक छापेमारी होती रही। वाहनों की भी गहन तलाशी ली गयी।

रिम्स में हुआ 30 से अधिक शवों का रिकार्डतोड़ पोस्टमार्टम

रांची। रिम्स में रिकार्डतोड़ 30 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम मंगलवार को किया गया। पोस्टमार्टम कराने के लिए सुबह से ही परिजनों को रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग के बाहर इंतजार करना पड़ा। वहीं, जहरीली शराब से मरने वाले छह शवों का भी रिम्स में देर रात तक पोस्टमार्टम करना पड़ा। ऐसे में परिजनों को देर शाम तक शवों के पोस्टमार्टम के लिए देर रात तक इंतजार करना पड़ा। 15 शव ऐसे थे, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा था। शेष शव रिम्स के बाहर के थे। इसमें सदर क्षेत्र से दो, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से दो, पिठौरिया से दो, नामकुम व तुपुदाना से एक-एक शव का पोस्टमार्टम किया गया। एफएमटी विभाग के चिकित्सकों ने बेहतर समन्वय के बीच देर शाम तक शवों का पोस्टमार्टम कर दिया। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम कराने के लिए एफएमटी के बाहर अच्छी-खासी भीड़ देर शाम तक बनी रही। लोग एफएमटी कर्मियों से अपने शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए पैरवी करते देखे गए। विशेषकर उन लोगों को अधिक परेशानी हुई, जिन्हें दूर जाना था। चिकित्सकों ने बताया कि नंबर आने के बाद ही उनका पोस्टमार्टम होगा। कुछ शव सोमवार रात के भी थे, जिनका पोस्मार्टम मंगलवार को हुआ।

एक नजर

हरमू मैदान में 17 को गरीब किसान मेला का आयोजन

रांची। विकास आयुक्त–सह अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त विभाग अमित खरे ने कहा कि 17 सितम्बर को रांची के हरमू मैदान में गरीब किसान मेला का आयोजन किया जायेगा। इसके लिए उन्होंने रांची के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि मेले के आयोजन से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे साथ ही सभी संबंधित विभाग गरीब किसान मेला के आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई अभी से प्रारम्भ कर दें। खरे ने कहा कि गरीब किसान मेला में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों व ऋण का वितरण किया जायेगा। उन्होंने जानकारी दी कि लाभुकों के बीच उज्जवला योजना अन्तगर्त गैस कनेक्शन तथा गैस चूल्हा का वितरण किया जायेगा। साथ ही संबंधित विभागों के अन्तर्गत सौयल हेल्थ कार्ड दो गाय, कृषि उपकरण, मतस्य–जीरा, जेएसएलपीएस द्वारा सखी मंडलों के बीच ऋण वितरण, बैंकों द्वारा मुद्रा योजना अंर्तगत परिसंपत्तियोंका वितरण, कल्याण विभाग द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण अन्य योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण किया जायेगा। गरीब किसान मेला को लेकर अमित खरे ने दिक्षणी छोटानागपुर प्रमण्डल,रांची, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल,हजारीबाग तथा कोल्हान प्रमण्डल,चाईबासा के आयुक्तों सहित रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसांवा, हजारीबाग तथा रामगढ़ के उपायुक्तों को भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिया है।

चारा घोटाला में पेशी के लिए लालू आज आयेंगे रांची

रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार शाम रांची पहुंचेंगे। लालू एयरपोर्ट से सीधे राजकीय अतिथिशाला जायेंगे। इसके बाद गुरुवार को चारा घोटाला के मामले में सीबीआई के विशोष अदालत में उपस्थित होंगे।

आजसू महिला प्रदेश ने की अविलंब शराबबंदी की मांग

रांची। राजधानी रांची में मंगलवार को शराब पीकर मरने की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आजसू पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्ष वायलेट कच्छप व रांची महिला महानगर अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि राज्य में अविलंब पूर्ण शराब बंदी लागू होनी चाहिए। नेताद्वय ने कहा कि इस मामले में दोषियों पर कठोर से कठोर काररवाई की जानी चाहिए।

कॉलेज चलें अभियान की शुरूआत

रांची। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा गोड्डा में आज कॉलेज चले अभियान की शुरूआत की गयी। राज्यपाल और राज्य सरकार के निर्देश पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक विभिन्न स्कूलों में दौरा कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को दसवीं या बारहवीं कक्षा के बाद कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। गोड्डा जिले में गरीबी और पलायन बड़ी समस्या रही है जिसके कारण उच्च शिक्षा की स्थिति बुरी तरह प्रभावित रही है।

पढ़ाई के साथ करें भारत मां की सेवा : सीएम

रघुवर ने बीआईटी सिन्दरी में किया दो लैब का उद्घाटन

विशिष्ट अतिथि : श्री पशुपतिनाथ सिंह, माननीय
श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय
दिनांकः 05 सित
स्थानः–बी0आई0टी0 सि

रांची। जिसके पास ज्ञान का भंडार होगा, वही विश्व में नाम करेगा। पढ़ाई के साथ भारत माता की सेवा करना भी जरूरी है। उक्त बातें आज बीआईटी सिन्दरी के आईटी भवन में सीमेंस द्वारा स्थापित सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के लैब-1 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भवन स्थित लैब-2 के उद्घाटन समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही। इसके पूर्व उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान के बीच दोनों लैब का उद्घाटन फीता काटकर किया तथा संस्थान परिसर में बनने वाले भवन और जीर्णोद्धार होने वाले भवन का शिलान्यास किया। श्री दास ने 5 पॉलिटेक्निक संस्थानों में टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट का उद्घाटन और विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों का शिलान्यास व उद्घाटन ऑनलाइन किया। मौके पर राज्य की शिक्षा मंत्री डा. नीरा यादव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखंड के सचिव अजय कुमार सिंह, सिन्दरी विधायक फूलचंद मंडल, मेयर चन्द्रशेखर अग्रवाल, बीआईटी के निदेशक डा. डीके सिंह, डीसी ए दोड्डे, एसएसपी मनोज रतन चोथे, सीमेंस के निदेशक अमित खरे व अन्य मौजूद थे।

बस की चपेट में आकर बाईक सवार की मौत

उग्र लोगों ने बस को फूंका

छाया : राजकुमार

रांची। खेलगांव थानाक्षेत्र खटंगा के समीप बस के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी। बताया जाता है कि रांची से सिमडेगा जानेवाली बस रांची से पैसेंजर लेकर सिमडेगा की ओर जा रही थी। वही विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी। जिससे युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। शव पूरी तरह से सड़क पर क्षत–विक्षत हो गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि दुर्घटना में मारे गए युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस आक्रोशित लोगों को समझा–बुझाकर शांत कराया। मौके पर फ्रायर बिग्रेड के वाहन को बुलाकर बस में लगी आग को बुझाया गया। लेकिन बस पूरी तरह से जल गई है।

जन संवाद केंद्र में 16 मामलों की हुई समीक्षा

12 लाख का बंदरबांट करने वाले बीडीओ एवं अभियंता से वसूली जायेगी राशि

रांची। मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने हजारीबाग के नवाडीह गांव में मनरेगा योजना से अनुपयोगी चेकडैम बनाकर 12 लाख रुपये की बंदरबांट करने वाले बीडीओ, अभियंता और कर्मियों के वेतन से उसकी वसूली करने का आदेश दिया है। श्री वर्णवाल ने हजारीबाग के उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह मामले के दोषी लोगों के विभाग को पत्र लिखें और सुनिश्चत करें कि उनके वेतन से घपले की राशि की कटौती करें। वे मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद में आई शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान कुल 16 मामलों की समीक्षा की गई।

चतरा के सहकारिता बैंक अधिकारी निलंबित: चतरा के खरौंधा पैक्स में लगभग 300 किसानों के फसल बीमा का चेक समय से नहीं बंटने से चेक खारिज होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के सचिव ने इसके लिए दोषी सहकारिता बैंक के अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि भुगतान में देरी होने पर उसकी भरपाई कौन करेगा। कौन किसानों को उनकी राशि का सूद देगा। उन्होंने भुगतान का चेक देने में देरी करने के आरोप में संबंधित बीमा कंपनी पर एफआइआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया। चतरा के नोडल पदाधिकारी को एक सप्ताह में सारी कार्रवाई सुनिश्चत करने की जवाबदेही दी गई। चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं होने पर उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर नोडल पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

गुमला के डीएसई पर होगी काररवाईः गुमला के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा आदेश निकाल कर कुछ शिक्षकों को ज्यादा वेतन देने के मामले में जांच का आदेश दिया गया है। जांच नोडल पदाधिकारी विजय वर्मा करेंगे। गौरतलब है कि जिला शिक्षा अधीक्षक से जब दूसरे शिक्षक भी ज्यादा वेतन की मांग करने लगे और उसकी शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद में की गई, तो उन्होंने अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया। मुख्यमंत्री के सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपना ही आदेश निरस्त करने के मामले की समीक्षा गुमला के उपायुक्त से कराने का निर्देश दिया। वहीं नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया कि वह जांच करें कि उन्होंने किस परिस्थिति में गलत आदेश दिया था। इसका सारा रिकार्ड देखें और तय करें कि क्यों नहीं जिला शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई की जाये। दूसरी ओर देवघर से जुड़े अनुकंपा पर नौकरी मामले में हो रही देरी पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनकर मामले के निपटारा का आदेश दिया। कहा, मामले को एक–दूसरे विभाग पर फेका–फेकी की कार्यप्रणाली बदलें। इस मामले में एक सप्ताह में मृतक दिगंबर राव के पुत्र नीरज कुमार को अनुकंपा पर नौकरी देना सुनिश्चत करने का आदेश दिया गया। वहीं जैप–1 के दिवंगत आरक्षी महेश क्षेत्री की पत्नी शोभा क्षेत्री को अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इससे जुड़े अधिकारियों को संवेदनशील बनकर समय पर लाभ देना सुनिश्चत करने को कहा गया। दूसरी ओर के सिमडेगा के दिवंगत दलपति राम नारायण सिंह के परिजनों को डालसा के निर्देशानुसार आबंटन प्राप्त कर यथाशीघ्र दो लाख रुपये का मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया गया। रांची से जुड़े एक मामले में झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद, इटकी का भवन बनाने वाले संवेदक के लंबित भुगतान को 24 घेटे के भीतर देने का आदेश दिया गया। गढ़वा से लड़की का अपहरण कर शादी करने के मामले में जानकारी दी गई कि दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। माता–पिता के साथ रहने से इंकार करने पर लड़की को रिमांड होम तथा लड़के को जेल भेज दिया गया है। पलामू के चौनपुर में स्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के बंद होने के बाद उसके दो आदेशपालों के नियोजन के संबंध में बताया गया कि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। एक माह के भीतर दोनों का नियोजन हो जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का भुगतान शीघ्र करने का आदेशः राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वर्ष 2014–15 में इलाज करानेवाले मरीजों को बीमा राशि का भुगतान नहीं होने के संबंध में बताया गया कि श्रम विभाग ने इसकी सारी जवाबदेही 2016 में ही स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि मामला मंत्रिमंडल की स्वी.ति के लिए भेजा जाना है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वे भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर लें और मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलते ही भुगतान कर दें। हजारीबाग से जुड़े एक मामले में बताया गया कि जिन स्कूलों का समायोजन दूसरे स्कूलों में किया गया है, वहां के पारा शिक्षकों के समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ सरकारी शिक्षक ही समायोजित हो सकते हैं। पलामू के काशीसोत सिंचाई परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन का भुगतान रैयतों को मुख्य अभियंता से समन्वय बनाकर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह बताने को भी कहा गया कि किन परिस्थियों में पांच साल से भुगतान लंबित रखा गया। इस मद में आबंटन की स्थित भी तीन दिनों में स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया। देवघर में गोचर जमीन पर ग्राम प्रधान की मिलीभगत से कब्जा कर उसे बेचने के प्रयास मामले में हुई काररवाई के संबंध में बताया गया कि पांच में से चार कब्जाधारियों को हटा दिया गया है। बाकी बचे एक व्यक्ति का कब्जा भी 12 घंटे में हटाकर गोचर जमीन का बोर्ड वहां लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के सचिव ने निर्देश दिया कि अवैध काम में सहभागी बने ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण पूछते हुए उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही करें। कोडरमा में अखिलेश्वरी चरण वर्मा की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में आदेश दिया गया कि दंडाधिकारी की देखरेख में पुलिस बल के सहयोग से अवैध कब्जा हटाकर मूल मालिक को कब्जा दिलाया जाये। गढ़वा के विशुनपुर में तालाब निर्माण में अनियमितता की शिकायत की जांच एक सप्ताह के भीतर करने का जिम्मा वहां के नोडल पदाधिकारी जुलफिकार अली को दिया गया।

छाया : राजकुमार

मुख्यमंत्री के सचिव ने नोडल पदाधिकारी को किया बाहर

रांची। पलामू के नोडल पदाधिकारी की अनुपस्थित में उनकी जगह आए पदाधिकारी से जब शिकायतों के संदर्भ में जवाब–तलब शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे डीसी साहब बोले कि जनसंवाद में जाकर बैठ जाइये, तो हम आ गए हैं। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दो मिनट पहले नोडल पदाधिकारी बने हैं, आप क्या बताएंगे। आप बाहर जाइये। निकलिए। चेहरा दिखाने आ गए हैं। जनसंवाद की गंभीरता नहीं पता। बताया गया कि डीसी क्षेत्र में निकले हैं। सचिव जनसंवाद में आई शिकायतों के निबटारा में फिसड्डी चल रहे जिलों की समीक्षा कर रहे थे। पलामू उसमें नीचे से तीसरे स्थान पर था। सबसे फिसड्डी जिला पूर्वी सिंहभूम के नोडल पदाधिकारी भी सचिव के चपेटे में आए। उन्हें समस्याओं के समाधान में तेजी लाने का अंतिम मौका दिया गया। कहा गया कि पूर्वी सिंहभूम लगातार दो महीने से काफी पीछे चल रहा है। स्थित नहीं सुधरी तो उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। फिसड्डी जिलों की फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहे गोड्डा जिले के नोडल पदाधिकारी पर टिप्पणी की गई कि आप सस्पेंड होने लायक अधिकारी हैं। नोडल पदाधिकारी ने 10–15 दिनों में समस्या समाधान में बेहतरी करने का भरोसा दिया। इस पर कहा गया कि नहीं सुधार हुआ तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

ऐ वी आई पोल्यमर्स लिमिटेड
सीन संख्या: L27204JH1993PLC005233
पंजीकृत कार्यालय: अंबिका कंपाउंड, पुरानी एचबी रोड, रांची-834001, झारखंड, भारत
मोबाइल: +91 7048360390, ईमेल: avipolymer@gmail.Com वेबसाइट: www.avipolymers.com

सूचना

यहां नोटिस दी जा रही है की कंपनी की 24वीं सालाना साधारण सभा 29 सितम्बर, 2017 को सुबह 11.00 बजे अंबिका कम्पाउन्ड, पूराना एच.बी., रांची-834001 में आयोजित होगी। नोटिस से एजीएम में ट्रान्झेक्ट होनेवाले बिझनेस के साथ कंपनी का सालाना रिपोर्ट वित्तिय वर्ष 2016-17 वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनीझ एक्ट, २०१३की कलम १०२(१) अनुसार विस्तृत विवरण और एजीएम मे प्रसिद्द होने वाले बिजनेसीस के साथ सदस्यों को उनके पंजिकृत पते पर भेजे गए है और यह कंपनी की वेबसाईटwww.avipolymers.com पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा एजीएम की नोटिस एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

एजीएम की नोटिस और सालाना रिपोर्ट उन सदस्यों को भी ईलेक्ट्रोनिकली उपलब्ध है जों लोग कंपनी-डिपोझीटरी के साथ ईमेल आईडी रखते है और अनुमतिप्राप्त तरीके से अन्य सदस्यों को भी फिझिकली उपलब्ध है।

कंपनीझ एक्ट, 2013 की सेक्शन 108 को कंपनीझ (मेनेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन) एमेन्डमेन्ट रूल्स, 2015 के नियम 20 और सेबी (लिस्टींग ओब्लिगेशन्स एन्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 के रेग्युलेशन 44 के साथ पढते हुए कंपनी स्टोक एक्सचेन्जिस के साथ, एजीएम में ट्रान्झेक्ट हुए बिझनेस के संदर्भ में एनएसडीएल द्वारा उनके सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई है।रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति एजीएम की नोटिस की नोट्स में उपलब्ध है और एनएसडीएल के सदस्यों को अलग से जानकारी दी गई है।

कोई व्यक्ति जो की कंपनी के शेर्स रखते है और कंपनी के सदस्य कट ओफ डेट 22 सितम्बर, 2017 से नोटिस दीये जाने के दिन से शेर रखते है वें लोग रिमोट ई वोटिंग के लिए लोगईन आईडी और पासवर्ड evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध करने के बाद प्राप्त कर सकतें है।

सदस्यों को वोटिंग राईट्स उनके कंपनी के पेईड अप ईक्विटी शेर केपिटल में उनके शेर्स के अनुपात में जो की 22 सितम्बर, 2017 कट ओफ डेट से है उन्हें मिलेंगे। रिमोट ई-वोटिंग पिरियड का प्रारंभ 26 सितम्बर, 2017 (सुबह 9.00) से होगा और समाप्ति 28 सितम्बर, 2017 को (शाम 5.00) बजे होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मोड्युल एनएसडीएल के द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कंपनी के वे सदस्य जो की शेर्स फिझिकल या डमटिरियलाईझ्ड रुप से रखे हुए है जो की कट ओफ डेट के अनुसार है तो वे भी रिमोट ई-वोटिंग कर सकते है। अगर ईवोटिंग के हिसाब से अगर कोई तकरार है तो वह एमसीएस शेर ट्रान्सफर एजन्ट लिमिटेड जो की शेर ट्रान्सफर एजन्ट 12/1/5, मनोहरपुकार रोड, ग्राउन्ड फ्लोर, कोलकाता-700026 में mcsahmd@gmail.com (033-40724051/52/53) को बताना होगा। जब एकबार रिझोल्युशन पर मतदान हो जाने के बाद और सबमिट होने के बाद सदस्यों को उसमें कोइ परिवर्तन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

एजीएम में पोल पेपर भी वोटिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे और एजीएम में सदस्यों के पास उनके वोट देने के लिए रिमोट ई वोटिंग का अधिकार है वें लोग भी चाहें तो पोल पेपर से मतदान करने का अधिकार रखते है। एजीएम में शामिल सदस्य रिमोट ई वोटिंग से वोट करने का अधिकार उपयोग करने के बाद एजीएम में शामिल हो सकते है। कृपया ध्यान रखें की जिस व्यक्ति का नाम कट ओफ डेट 22 सितम्बर, 2017 के मुताबिक डिपोझीटरीझ के मुताबिक लाभार्थी ओनर्स के रजिस्टर में पंजीकृत है वें रिमोट ई वोटिंग और साधारण सभा में वोटिंग का अधिकार रखतें है।

बुक क्लोझर

कंपनीझ एक्ट, 2013 के सेक्शन 91 अंतर्गत स्टोक एक्सचेन्ज के साथ सेबी (लिस्टींग ओब्लिगेशन्स और डिस्क्लोझर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 के रेग्युलेशन 42 और नियमों एवं कंपनी का रजिस्टर ओफ मेम्बर्स और शेर ट्रान्सफर बूक 25 सितम्बर, 2017 से 29 सितम्बर, 2017 (दोनो दिनों के साथ) तक एजीएम हेतु बंद रहेंगे।

उक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाईट (www.avipolymers.com)और स्टॉक एक्सचेन्जकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है i.e, बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com)

बोर्ड के आदेश से
हस्ता/-
मनसुख पटेल (प्रबंध निदेशक)
डीन: 00162160

स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 02-09-2017